न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/95/2005/भरतपुर

1— जमुना प्रसाद पुत्र श्री पूरन दत्तक पुत्र मोहरसिंह जाति ब्राहम्ण निवासी बहज तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1— ओमप्रकाश पुत्र पूरन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सहार तहसील छाता
2— कमलेश उर्फ विमलेश बेवा चतुर्भुज
3— वन्दना
4— कविता पुत्रियां चतुर्भुज नाबालिगान व विलायत व रिफाकत कमलेश बेवा चतुर्भुज माता खुद।
5— सब रजिस्ट्रार डीग।

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थित :
श्री जे.के. पारीक, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री एस.पी. सिंह, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 4

निर्णय

दिनांकः—21—7—2025

1— यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21—12—2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 व 188 के तहत ग्राम बहज तहसील

डीग की वाद पत्र में उल्लेखित विवादग्रस्त भूमि हेतु न्यायालय उप जिला कलक्टर ड़ीग के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि मोहरसिंह ने अपने जीवनकाल में अपीलार्थी वादी को बाल्यवस्था में ही गोद लेकर वादी को दत्तक पुत्र की हैसियत से पढ़ा लिखा कर बड़ा किया तथा शादी विवाह करवाया। अपीलार्थी वादी मोहरसिंह की समस्त चल अचल सम्पत्ति पर काबिज चला आ रहा है, लेकिन वादग्रस्त आराजी प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज हो गई, जबकि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। प्रतिवादीगण अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी के कब्जे काश्त से बेदखल करना चाहते हैं, इसलिए अपीलार्थी वादी को मोहरसिंह का दत्तक पुत्र होने के नाते विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के पक्ष में अपना इकबाल जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 ने अस्वीकारोक्ति जवाबदावा पेश किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर कुल 5 तनकी कायम करते हुए निर्णय दिनांक 25–02–2004 द्वारा वादी का वाद प्रमाणित न होने के आधार पर खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी वादी ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 21–12–2004 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी वादी द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि मोहरसिंह ने अपीलार्थी वादी को 5–6 वर्ष की आयु में गोद ले लिया था। अपीलार्थी वादी द्वारा विचारण न्यायालय में सभी तथ्य एवं दस्तावेज एवं गवाहों के बयान प्रस्तुत किये थे जिसके आधार पर अपीलार्थी जमुना प्रसाद मोहरसिंह का दत्तक पुत्र होना साबित था। अपीलार्थी ने मोहरसिंह का दत्तक पुत्र साबित करने के लिए गंगागुरू की लिखत, राशन कार्ड की प्रति तथा बी.ए. पार्ट द्वितीय की मार्क शीट, लग्न पत्रिका आदि पुष्ठ दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ–साथ मौखिक गवाहों के बयान भी प्रस्तुत किये थे लेकिन दोनों अधीनस्थ

न्यायालयों ने वादी को मोहरसिंह का दत्तक पुत्र न मानने में त्रुटि की है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ओमप्रकाश जो अपीलार्थी वादी का खास भाई है, ने वाद पत्र को स्वीकार कर इकबाल जवाब दावा पेश किया था। अपीलार्थी मोहरसिंह का दत्तक पुत्र था तथा मोहरसिंह की मृत्यु उपरांत उसके तमाम क्रिया कर्म संस्कार हिन्दु रीति रिवाज से अपीलार्थी वादी जमुना प्रसाद द्वारा ही किये गये थे। अपीलार्थी ही मोहरसिंह का विधिक वारिस होकर उसकी भूमि पर काबिज काश्त है। विवादित भूमि पर प्रत्यर्थीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही उनका कोई हक एवं अधिकार है। अपीलार्थी वादी ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से अपने दावे को पूर्णतया साबित कर दिया था। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के तनकी संख्या 1 से 5 का निर्णय वादी के विरूद्ध करके कानूनी एवं तथ्यपरक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने विधि के प्रावधानों अनुसार तनकीयात का निर्माण नहीं किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय न कर आलौच्य निर्णय में आदेश 41 नियम 31 सीपीसी प्रावधानों की पालना न की जाने से निर्णय विधिविरूद्ध होकर खारिज योग्य है। आलौच्य निर्णय में अपीलार्थी के साक्ष्यों पर कोई विचारण नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में 2017 (1) आरआरटी पेज 547, 2011 आरआरडी पेज 553, 2014–15 आरआरटी पेज 435 एवं 2001 डीएनजे पेज 433 (एससी) नजीरें पेश की।

5– उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 4 ने अभिकथन किया कि अपीलार्थी ने वाद में ऐसा कोई पुष्ठ साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वह मोहरसिंह का दत्तक पुत्र है। अपीलार्थी को मोहरसिंह ने कभी गोद नहीं लिया और ना ही वादी ने कोई गोदनामा पेश किया है। अपीलार्थी अपने पिता पूरनमल की वल्दियत के आधार पर ही नौकरी लगा था तथा हाई स्कूल व सीनियर सैकेण्डरी के प्रमाण पत्र में भी उसकी वल्दियत पूरनमल अंकित है। ग्राम पंचायत बहज द्वारा जारी राशन कार्ड, निर्वाचन नामावली में अपीलार्थी का पिता पूरनमल ही अंकित है। पूर्व राजस्व वाद द्रोपदी बनाम किन्नो में अपीलार्थी ने दिनांक 06–12–1982 को राजीनामा पेश किया था, उसमें भी उसने स्वयं का मोहरसिंह के गोद जाने का तथ्य नहीं बताया था। अपीलार्थी ने गंगागुरू के कागजात, लग्न पत्रिका आदि झूठे

दस्तावेज पेश किये हैं। इन दस्तावेजों से उसका मोहरसिंह का गोद पुत्र होना विधिवत साबित भी नहीं होता है। अपीलार्थी वादी द्वारा जो वाद पेश किया गया है वह फर्जी व झूठे दस्तावेजों के आधार पर भूमि को हड़पने की नीयत से पेश किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में भूमि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी संख्या 1 व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के नाम प्रत्येक का हिस्सा 1/3 सही प्रकार दर्ज है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी का पक्ष साबित न होने की स्थिति में दावा व अपील खारिज की है, इनमें क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है, जिसके आधार पर उनके द्वारा त्रुटिपूर्ण निर्णय किया जाना माना जाकर अपील के माध्यम से उनमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6— हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ–साथ उनके निर्णयों का गहनता से आद्योपांत अध्ययन किया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

7— दावे में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2052–2055 अनुसार विवादित भूमि में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 ओमप्रकाश प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 की खातेदारी में दर्ज है। वाद पत्र में प्रस्तुत सजरा अनुसार अपीलार्थी जमुना प्रसाद व प्रत्यर्थी ओमप्रकाश भाई होकर प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 उनके अन्य भाई चुर्तभुज के वारिस हैं। सजरा अनुसार उक्त पक्षकारान नत्थी की पुत्री किन्नों के वारिसान हैं। मोहरसिंह नत्थी का भाई होकर लावल्द विला औरत फौत हो गया था। वादी जमुना प्रसाद का दावे में मुख्य आधार यह है कि वह 5–6 वर्ष की आयु में ही मोहरसिंह के गोद चला गया था तथा वह मोहरसिंह की भूमि का विधिसम्मत वारिस होने से वादग्रस्त भूमि में प्रत्यर्थीगण का नाम हटाया जाकर उसे पूरी भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रत्यर्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग ने दावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के जवाब दावे के आधार पर दावे के निर्णय हेतु 5 विवाद्यक कायम किये तथा दोनों पक्षों की साक्ष्य लेने उपरान्त वादी द्वारा दावा साबित न कर सकना विवेचित कर निर्णय दिनांक 25–02–2004 द्वारा दावा खारिज कर दिया गया। दावे में तनकी संख्या 1 तथा 4 दोनों में

वादी का मोहरसिंह का गोदपुत्र होने का क्लेम मुख्य विवेचन बिन्दु है जिस पर विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों के विस्तृत व गुणावगुण पर विश्लेषण पश्चात् वादी का आधार साबित होना नहीं पाया। निर्णय में दोनों पक्षों के पक्ष तथा प्रस्तुत प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के स्पष्ट व सकारण विवेचन के साथ दोनों विवाद्यकों को विरूद्ध वादी निर्णीत किया गया है। साथ ही अन्य तनकीयात को भी सुस्पष्ट विचारण के साथ निस्तारित की गई हैं। हम विचारण न्यायालय का निर्णय पुष्ठ, सुविश्लेषित तथा विधिसम्मत होना मानते हैं। वादी द्वारा गोद के समर्थन में गोदनामा दस्तावेज प्रस्तुत न करने के साथ–साथ जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं उनसे उसका मोहरसिंह का गोदीना पुत्र होने का आधार अपुष्ठ होकर विधिवत प्रमाणित नहीं है तथा हम इन पर विचारण न्यायालय के साक्ष्य वार विवेचन पर सहमति रखते हैं। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने वादी का क्लेम खंडनीय होने के समर्थन में पुष्ठ तथ्य व साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं, जिन्हें अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। विचारण न्यायालय ने दोनों के पक्ष पर विचार कर समुचित व स्पष्ट विवाद्यक विरचित किये हैं। अगर वादी को विवाद्यकों पर आपत्ति थी तो उसे इस बाबत दावे में अपना पक्ष रखना चाहिए था।

8– विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी जमुना प्रसाद द्वारा दायर अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी का मोहरसिंह का दत्तक पुत्र मुख्य विवाद बिन्दु होना मानते हुये उनके द्वारा भी निर्णय में दोनों पक्षों के आधार व साक्ष्यों को विश्लेषित करते हुये गुणावगुण पर फैसला दिया गया है। निर्णय में मुख्य अपील आधार पर तथ्यों, साक्ष्यों व विधिक प्रावधानों अनुसार स्पष्ट विश्लेषण के साथ विनिश्चय दिये जाने से प्रमुख विवाद्यक समुचित एवं सारवान रूप से निर्णीत होते हैं, अतः हमारी सुविचारित राय में मातहत अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 21–12–2004 में कोई हस्तक्षेप योग्य त्रुटि नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होकर हम इनमें कोई तथ्यपरक, विधिक तथा क्षेत्राधिकार निर्वहन संबंधी कोई कमी होना नहीं पाते हैं।

9– अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप हस्तगत अपील सारहीन होकर खारिज की जाकर मातहत दोनों न्यायालयों के आदेशों को यथावत रखा

जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। मातहत न्यायालयों का अभिलेख लौटा दिया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य